-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 19.10.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **दीपावली के दृष्टिगत समस्त थाना क्षेत्रों में पटाखा दुकानों का पुलिस द्वारा निरीक्षण – सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर दिए गए दिशा-निर्देश।**

विवरण- दीपावली पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं दुर्घटनारहित वातावरण में सम्पन्न कराए जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में संचालित पटाखा विक्रेताओं की दुकानों का सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस टीमों द्वारा दुकानों में अग्नि सुरक्षा मानकों की स्थिति का गहनता से मूल्यांकन किया गया। प्रत्येक दुकान पर यह सुनिश्चित किया गया कि वहां अग्निशमन यंत्र, पानी से भरी बाल्टियां, बालू से भरे टब, तथा अन्य प्राथमिक अग्नि-निरोधक साधनों की समुचित व्यवस्था हो। पुलिस अधिकारियों ने दुकानदारों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए यह भी बताया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा मानकों की अनदेखी जन-जीवन के लिए खतरा बन सकती है। इस अवसर पर विक्रेताओं को यह चेतावनी भी दी कि यदि किसी दुकान में बिना वैध लाइसेंस के पटाखों का भंडारण या विक्रय पाया गया, अथवा पटाखों का व्यवसाय अनाधिकृत स्थलों पर किया गया, तो संबंधित के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही, दुकान संचालकों को यह भी निर्देशित किया गया कि वे निर्धारित मात्रा में ही पटाखों का भंडारण करें और भंडारण स्थल को उचित रूप से चिन्हित एवं सुरक्षित रखें। बांदा पुलिस आम नागरिकों से यह अपील करती है कि वे दीपावली का पर्व संयम, सजगता एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। बच्चे पटाखों का उपयोग बड़ों की देखरेख में ही करें। तेज आवाज वाले या प्रतिबंधित पटाखों का प्रयोग न करें। साथ ही, पटाखों का उपयोग निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत ही किया जाए। यदि कहीं कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है, तो डायल यूपी-112 या स्थानीय पुलिस को तत्काल सूचना दें।